

(का) “आरक्षित निधियों पर ब्याज” -	(A) “Interest on Reserve Funds”-
(क) “रेलवे विकास निधि को ब्याज” - ₹4064.00 लाख; और	(a) “Interest on Railway Development Fund”- ₹4064.00 lakhs; and
(ख) “सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज - रेलवे पेंशन निधि” - ₹3051.00 लाख।	(b) “Interest on General and Other Reserve Funds – Railway Pension Fund” – ₹3051.00 lakhs.
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कम अभिवृद्धि होने और निधि से अधिक आहरण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।	Provisions under the above two heads remained unutilised due to less accretion and more withdrawals from the fund.
(खा) “अन्य देयताओं पर ब्याज - जमा राशियों पर ब्याज - कोयला खान जमा संबद्ध बीमा निधि” - ₹1208.32 लाख स्कीम 24.3.2009 से निष्प्रभावी होने के कारण थे।	(B) “Interest on Other Obligations – Interest on Deposits - Coal Mines Deposit Linked Insurance Fund” - ₹1208.32 lakhs - due to the scheme went defunct with effect from 24.3.2009.
(II) मुख्य शीर्ष “2049” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-	(II) Under Major Head “2049” - savings occurred under the following heads:-
(का) “आंतरिक ऋण पर ब्याज” -	(A) “Interest on Internal Debt”-
(क) “बाजार कर्जों पर ब्याज” - ₹600303.80 लाख की बचत (₹16783723.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) बाजार कर्जे कम लिए जाने के कारण हुई।	(a) “Interest on Market Loans” - saving of ₹600303.80 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹16783723.00 lakhs) was due to raising of less market loans.
(ख) “364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज” - ₹43595.90 लाख की बचत (₹306300.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निवेश की मात्रा कम होने के कारण हुई।	(b) “Interest on 364 days Treasury Bills” - saving of ₹43595.90 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹306300.00 lakhs) was due to lower volume of investment.
(ग) “अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज”- ₹54407.02 लाख की बचत (₹67600.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) सरकार की रोकड़ स्थिति में सुधार होने के कारण हुई।	(c) “Interest on Ways and Means Advances” - saving of ₹54407.02 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹67600.00 lakhs) was due to improvement in cash position of the Government.
(घ) “14 दिवसीय खजाना बिलें” - ₹105794.46 लाख की बचत (₹510700.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा निवेशों को मध्यवर्ती खजाना बिलों से निलामी आधारित खजाना बिलों में अंतरित किए जाने के कारण हुई।	(d) “14 days Treasury Bills” - saving of ₹105794.46 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹510700.00 lakhs) was due to shifting of investments from intermediate treasury bills to auction based treasury bills by the State Governments.

(खा) “बाह्य ऋण पर ब्याज” -	(B) “Interest on External Debt”-
(क) “फ्रांस की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - ₹738.32 लाख की बचत (₹4547.26 लाखके स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;	(a) “Interest on Loans from the Government of France” - saving of ₹738.32 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹4547.26 lakhs);
(ख) “अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से कर्जों पर ब्याज” - ₹9408.71 लाख की बचत (₹94811.78 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;	(b) “Interest on Loans from International Development Association” – saving of ₹9408.71 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹94811.78 lakhs) ;
(ग) “अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से कर्जों पर ब्याज”- ₹289.10 लाखकी बचत (₹1479.20 लाखके स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;	(c) “Interest on Loans from International Fund for Agricultural Development” - saving of ₹289.10 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1479.20 lakhs);
(घ) “अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से कर्ज पर ब्याज” - ₹33583.19 लाखकी बचत (₹64918.83 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और	(d) “Interest on Loans from the IBRD” - saving of ₹33583.19 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹64918.83 lakhs); and
(ङ) “एशियाई विकास बैंक से कर्ज पर ब्याज” - ₹24304.82 लाख की बचत (₹47874.20 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।	(e) “Interest on Loans from Asian Development Bank” – saving of ₹24304.82 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹47874.20 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें विनिमय दर में बदलाव आने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to exchange rate variation.

(गा) “अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज” -	(C) “Interest on Small Savings Provident Funds etc.”-
(क) “राज्य भविष्य निधि पर ब्याज - अन्य राज्य भविष्य निधिया” - ₹11176.67 लाख की बचत (₹148170.26 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि से ज्यादा आहरण किए जाने के कारण हुई।	(a) “Interest on State Provident Fund - Other State Provident Funds”- saving of ₹11176.67 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹148170.26 lakhs) was due to more withdrawals from the fund.
(ख) “विशेष जमाओं और लेखों पर ब्याज - भविष्य अधिवर्षिता उपदान निधि की विशेष जमा” - ₹1593.60 लाख की बचत (₹925084.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) बैंकों द्वारा कम दावे किए जाने के कारण हुई।	(b) “Interest on Special Deposits and Accounts- Special Deposits of Provident Superannuation Gratuity Fund”- saving of ₹1593.60 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹925084.00 lakhs) was due to less claims by banks.

(ग) “बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज” -

(i) “औद्योगिक कामगारों के लिए परिवार पेंशन और जीवन आश्वासन निधि” - ₹42935.90 लाख की बचत (₹450865.90 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(ii) “डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि” - ₹42481.14 लाख की बचत (₹205000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(घ) “अन्य जमाओं और लेखों पर ब्याज” -

(i) “सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा स्कीम पर ब्याज” - ₹375.01 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ii) “सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा स्कीम पर ब्याज” - ₹199.86 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम जमा राशियों के कारण हुईं।

(घा) “आरक्षित निधियों पर ब्याज” -

(क) “मूल्यहास नवीकरणीय आरक्षित निधि पर ब्याज - रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि” - ₹15737.61 लाख की बचत (₹15760.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ख) “सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज - रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज” - ₹7005.34 लाख की बचत (₹11416.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

(c) “Interest on Insurance and Pension Funds” -

(i) “Family Pension-cum-life Assurance Funds for Industrial Workers” - saving of ₹42935.90 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹450865.90 lakhs);

(ii) “Postal Insurance and Life Annuity Fund” - saving of ₹42481.14 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹205000.00 lakhs);

(d) “Interest on Other Deposits and Accounts”-

(i) “Interest on Deposits Scheme for retiring Government employees” - saving of ₹375.01 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹400.00 lakhs); and

(ii) “Interest on Deposits Scheme for retiring employees of Public Sector Undertakings” - saving of ₹199.86 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹200.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less deposits.

(D) “Interest on Reserve Funds”-

(a) “Interest on Depreciation Renewal Reserve Fund - Railway Depreciation Reserve Fund” - saving of ₹15737.61 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹15760.00 lakhs); and

(b) “Interest on General and Other Reserve Funds - Interest on Railway Capital Reserve Fund” - saving of ₹7005.34 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹11416.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम अभिवृद्धि होने और निधि से अधिक आहरण किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5721.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2048” - “अन्य विनियोग - सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद पर प्रीमियम की अदायगी” के अंतर्गत अगस्त, 2010 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक विनियोग प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5719.83 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2049” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “आंतरिक ऋण पर ब्याज” -

(क) “खजाना बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई संबद्ध प्रतिभूतियां - खजाना बिलों पर छूट - 91 दिवसीय खजाना बिल” - ₹20749.53 लाख का अधिक व्यय (₹364900.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा निवेशों का अंतरण मध्यवर्ती खजाना बिलों से नीलामी आधारित खजाना बिलों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “182 दिवसीय खजाना बिल” - ₹11243.74 लाख का अधिक व्यय (₹123000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ।

(ग) “1999-2000 से अल्प बचतों की निवल वसूलियों के बदले जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज” - ₹23749.81 लाख का अधिक व्यय (₹255929.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और

(घ) “केंद्रीय/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि के पुनः निवेश के बदले एन एस एस एफ को जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां” - ₹94496.57 लाख का अधिक व्यय (₹669236.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

Savings under the above two heads were due to less accretion and more withdrawals from the fund.

2.(I) The above savings were partly (₹5721.00 lakhs) utilised for augmenting the appropriation by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary appropriation of ₹1.00 lakh in August, 2010 under Major Head “2048” - “Other Appropriations - Payment of Premium on buyback of Government Securities.” Actual excess, however, was ₹5719.83 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2049” - under the following heads:-

(A) “Interest on Internal Debt” -

(a) “Treasury bills and connected securities issued to Reserve Bank of India - Discount on Treasury Bills - 91 days Treasury Bills” - excess of ₹20749.53 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹364900.00 lakhs) was due to shifting of investments from intermediate treasury bills to auction based treasury bills by the State Governments.

(b) “182 days Treasury Bills” - excess of ₹11243.74 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹123000.00 lakhs) was due to hardening of interest rates.

(c) “Interest on Investment in Special GOI securities issued against net collections of small savings from 1999-2000” - excess of ₹23749.81 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹255929.00 lakhs); and

(d) “Special GOI securities issued to NSSF against reinvestment of sums received on redemption of Special Central/State Governments’ Securities” - excess of ₹94496.57 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹669236.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश किए जाने के कारण हुआ।

(ड) “रोकड़ प्रबंधन बिल” - ₹4014.24 लाख का अधिक व्यय (शून्य विनियोग की तुलना में) ज्यादा प्रोद्भूत ब्याज और प्रीमियम की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(च) “अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज - प्रतिपूर्ति और अन्य बांड” - ₹60055.71 लाख का अधिक व्यय (₹365292.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) धारकों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(छ) “ऋण प्रबंधन” - ₹7935.36 लाख का अधिक व्यय (₹50339.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) विधि और प्रकाशन प्रभारों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ज्यादा दावे किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “बाह्य ऋण पर ब्याज” -

(क) “जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - ₹1380.49 लाख का अधिक व्यय (₹10983.78 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ;

(ख) “जापान की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - ₹6990.19 लाख का अधिक व्यय (₹118381.67 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और

(ग) “सोवियत संघ की सरकार से कर्जों पर ब्याज” - ₹1101.60 लाख का अधिक व्यय (₹26095.70 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत विनिमय दरों में बदलाव आने के कारण हुआ।

(गा) “अल्प बचत भविष्य निधियों आदि पर ब्याज” -

(क) “राज्य भविष्य निधि पर ब्याज” -

Excess under the above two heads was due to more investment in Government securities.

(e) “Cash Management Bills”- excess of ₹4014.24 lakhs (against nil appropriation) was due to payment of higher accrued interest and premium.

(f) “Interest on other Internal Debts - Compensation and other Bonds” – excess of ₹60055.71 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹365292.00 lakhs) was due to receipt of more claims from the holders.

(g) “Management of Debt”- excess of ₹7935.36 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹50339.00 lakhs) was due to more claims by RBI coupled with legal and publication charges.

(B) “Interest on External Debt” –

(a) “Interest on Loans from the Government of Federal Republic of Germany”- excess of ₹1380.49 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹10983.78 lakhs);

(b) “Interest on Loans from the Government of Japan” - excess of ₹6990.19 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹118381.67 lakhs); and

(c) “Interest on Loans from the Government of USSR” - excess of ₹1101.60 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹26095.70 lakhs).

Excess under the above three heads was due to exchange rate variation.

(C) “Interest on Small Savings Provident Funds etc.” –

(a) “Interest on State Provident Fund” –

- (i) “सामान्य भविष्य निधि” - ₹41932.14 लाख का अधिक व्यय (₹377540.65 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ; और
- (ii) “राज्य रेलवे भविष्य निधि” - ₹19405.56 लाख का अधिक व्यय (₹136876.22 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय में ज्यादा वृद्धि निधि होने के कारण हुआ।

- (ख) “बीमा और पेंशन निधियों पर ब्याज - केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना” - ₹2940.88 लाख का अधिक व्यय (₹31000.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ज्यादा निक्षेप और कम आहरण किए जाने के कारण हुआ।
- (ग) “विशेष जमा राशियों और लेखों पर ब्याज - ईपीएफ/ईडीएलआई की विशेष जमा राशियों” - ₹3675.35 लाख का अधिक व्यय (₹55748.16 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ब्याज की ज्यादा अदायगी किए जाने के कारण हुआ।
- (घ) “फील्ड जमा राशियों पर बोनस - इंडिया बैंकों के असंवितरित वेतन के लिए बोनस” - ₹3538.14 लाख का अधिक व्यय (₹18237.24 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) इंडिया बैंकों के वेतन में ज्यादा वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (घा) “आरक्षित निधियों पर ब्याज - सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज - मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज” - ₹106.65 लाख का अधिक व्यय (₹5300.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में ज्यादा शेष उपलब्ध होने के कारण हुआ।

(ड) “अन्य देयताओं पर ब्याज” -

(क) “जमा राशियों पर ब्याज” -

- (i) “General Provident Fund” – excess of ₹41932.14 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹377540.65 lakhs); and
- (ii) “State Railway Provident Fund”- excess of ₹19405.56 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹136876.22 lakhs).

Excess under the above two heads was due to higher accretion to the fund.

(b) “Interest on Insurance and Pension Funds-Central Government Employees Group Insurance Scheme” - excess of ₹2940.88 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹31000.00 lakhs) was due to more deposits and less withdrawals.

(c) “Interest on Special Deposits and Accounts - Special Deposits of EPF/EDLI” - excess of ₹3675.35 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹55748.16 lakhs) was due to higher payment of interest.

(d) “Bonus on Field Deposits - Bonus for undischursed Pay of India Ranks”- excess of ₹3538.14 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹18237.24 lakhs) was due to higher accretion of pay of India Ranks.

(D) “Interest on Reserve Funds – Interest on General and Other Reserve Funds - Interest on Price Stabilisation Fund” - excess of ₹106.65 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹5300.00 lakhs) was due to higher balances available to the fund.

(E) “Interest on other Obligations”-

(a) “Interest on Deposits” –

- (i) “राष्ट्रीय रक्षा निधि” - ₹134.26 लाख का अधिक व्यय (₹6744.13 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) निधि में ज्यादा वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (ii) “अप्रवासी भारतीय बांड स्कीमों की जमा राशियों पर ब्याज” - ₹286.83 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) बांडों की बकाया राशि की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) “विविध - एसडीआर के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार” - ₹794.70 लाख का अधिक व्यय (₹7978.77 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) विनिमय दरों में बदलाव आने और विशेष आहरण अधिकारों के निवल संचयी आबंटन के कारण हुआ।
- (II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹149.13 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹ 50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत विनियोग का 70 प्रतिशत था। इसमें वह एक शीर्ष शामिल था जिसमें निधियों का प्रावधान हुए बगैर खर्च हुआ।
- (i) “National Defence Fund”- excess of ₹134.26 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹6744.13 lakhs) was due to higher accretion to the fund.
- (ii) “Interest on Deposits on NRI Bonds Schemes”- excess of ₹286.83 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹50.00 lakhs) was due to payment of arrears on the bonds.
- (b) “Miscellaneous- Charges payable to IMF for utilisation of SDRs”- excess of ₹794.70 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹7978.77 lakhs) was due to exchange rate variation and net cumulative allocation of special drawing rights.
- (II) Under two heads excess of ₹149.13 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 70 percent of the sanctioned appropriation. This included one head where the expenditure was incurred without any provision of funds.
-